श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/12 से 12/12

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के दृष्टिगत, श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के अवधि 1/12 से 12/12 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के महत्वपूर्ण पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

(क) उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोटसिद्ध

अधिकारी का नाम	**अवधि**
श्री राजेन्द्र सिंह	01.01.2012 से 31.12.2012

(ख) उपमण्डलाधिकारी (ना) बड़सर एवं अध्यक्ष श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोट सिद्ध

अधिकारी का नाम	**अवधि**
श्री ओ0पी0 ठाकुर	01.01.2012 से 31.12.2012

(ग) मन्दिर अधिकारी श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध

अधिकारी का नाम	**अवधि**
श्री सूरज प्रकाश सोनी	01.01.2012 से 31.12.2012

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास के अवधि 1/2012 से 12/2012 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाख में)
1	5 (क)	कम दरो पर राशि निवेशित करने के कारण कम ब्याज की प्राप्ति बारे	9.32
2	5 (ख)	निवेशित राशियों पर कम ब्याज दिये जाने बारे	0.23
3	10 (ग)	मन्दिर न्यास में कार्यरत्त कर्मचारियों को विशेष भत्ता के फलस्वरूप अधिक भुगतान करने बारे	2.36
4	13	विज्ञापनों पर अनियमित रूप में व्यय की गई राशि	5.77
5	14	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु भेजी गई राशि में से शेष राशि का न तो सीमेन्ट प्राप्त करना और न ही शेष राशि प्राप्त करना	0.39
6	22	मन्दिर न्यास के कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका के प्रत्युत्तर/difence में उच्चतम न्यायालय द्वारा "जयदेव गुप्ता Vs हिमाचल प्रदेश सरकार" के मामले में दिये गये निर्णय (AIR 1998 SC2 819) को गम्भीरता से न करने के कारण प्रार्थियों को न्यास निधि से अनुचित व अनियमित भुगतान करना	30.00
7	10 (घ)	हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना में पदों का वर्णन न होने पर भी न्यास के कर्मचारियों को ग्रेड पे दिए जाने के बारे में	विवरण पैरे में दिया गया है

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–I"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर न्यास द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1/2012 से 12/2012 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जॉच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, सर्व श्री तारा चन्द महन्त (सहायक नियन्त्रक) तथा श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 21.10.2013 से 18.1.2014 के दौरान दियोट सिद्ध में किया गया। माह 04/2012 का चयन आय की जांच हेतु तथा माह 6/12 का चयन व्यय की जांच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास के मन्दिर अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1/2012 से 12/2012 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹70500/–बनता है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**नाम**	**विवरण**	**अंकेक्षण शुल्क की राशि**
1	श्री तारा चन्द महत्न (सहायक नियन्त्रक)	60 दिन	60X600=36000
2	श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक)	69 दिन	69X500=34500
		कुल राशि	**₹70500**

अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 (आडिट) 308 दिनाँक 17.1.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः उपरोक्त राशि रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 171009 को भेजी जानी सुनिश्चित की जाये। मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण दल को अवगत करवाया कि अंकेक्षण शुल्क की ₹70500/– यूको बैंक शाखा दियोटसिद्ध के बैंक ड्राफ्ट संख्या 488594 दिनांक 19.2.14 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा शिमला–9 को भिजवा दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा प्रस्तुत न्यास की वर्ष 2012 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही।

(i) दान व चढ़ावा निधि, मन्दिर निधि, गिरावट/ह्रास निधि तथा संचित निधि की वित्तीय स्थिति दिनाँक 31.12.2012 तक निम्न प्रकार से है, जिनका विवरण परिशिष्ट II (1) पर भी दिया गया हैः–

प्रारम्भिक शेष (1.1.2012)	**223748823.85**
वर्ष में प्राप्त आय	179531536.63
वर्ष में प्राप्त ब्याज	18501088.00
कुल प्राप्तियाँ	**421781448.48**
वर्ष में किया गया व्यय	152650914.00
अन्तिम शेष (31.12.2012)	**269130534.48**

उपरोक्त वर्णित अन्तशेष की ₹269130534.48 का निधिवार रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका बैंक खातों में शेष राशि में मिलान का विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "II"** में भी दिया गया है।

दान निधि	30251138.48
चढ़ावा निधि	128516821.00
मन्दिर निधि	68951987.00
गिरावट एवं ह्रास निधि	20683304.00
संचित निधि	20727284.00
योग	**269130534.48**

(ii) जलपान गृह निधिः– परिशिष्ट "II" (2)

प्रारम्भिक शेष (1.1.2012)	**7280781.25**
वर्ष में प्राप्त आय	4575340.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	653961.00
कुल प्राप्तियाँ	**12510082.25**
वर्ष में किया गया व्यय	3385784.00
अन्तिम शेष (31.12.2012)	**9124298.25**

दिनांक 31.12.2012 को बैंक में जमा राशि विवरण

सावधिक खाते मे दिनांक 31.12.12 में जमा कुल राशि (31.12.2012)	8797209.00
यूको बैंक खाते संख्या 00127 में दिनांक 31.12.2012 को अन्तशेष	327089.25
योग	**9124298.25**

(iii) सिद्ध आँचल संराय निधिः–

प्रारम्भिक शेष (1.1.2012)	**427317**
वर्ष में प्राप्त आय	434949
वर्ष में प्राप्त ब्याज	18303
योग	**880569**
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	128178
अन्तिम शेष (31.12.2012)	**752391**

दिनांक 31.12.2012 को बैंक में जमा राशि विवरण

बचत खाता संख्या 205 यूको बैंक दियोटसिद्ध में 31.12.2012 को अन्तशेष	752391

(iv) प्रतिभूति निधिः– परिशिष्ट "II" (4)

प्रारम्भिक शेष (1.1.2012)	**898649**
वर्ष में प्राप्त आय	620011
वर्ष में प्राप्त ब्याज	17978
कुल प्राप्तियाँ	**1536638**
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	613218
अन्तिम शेष (31.12.2012)	**923420**

दिनांक 31.12.2012 को बैंक में जमा राशि विवरण

प्रतिभूति बैंक खाते काँगड़ा को0ओ0 संख्या 415 में 31.12.2012 को अन्तशेष	923420

5 सावधिक जमा योजना पर निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज के बारे में:–

(क) कम दरों पर राशि निवेशित करने पर ₹9.32 लाख की कम ब्याज की प्राप्ति के बारे:–

जॉच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत राशियों को विभिन्न बैंकों की शाखाओं में निवेश किया गया है जिन पर बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा अलग–2 दर से ब्याज दिया गया जिस कारण मन्दिर न्यास को सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर ब्याज की लगभग ₹932700/– कम प्राप्ति हुई है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–II (A)"** में दिया गया हैं। अतः सावधि जमा योजना के अन्तर्गत ब्याज की कम प्राप्ति की गई इस राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकरण में न्यास स्त्तर पर विस्तृत जांच करके वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा यदि सम्भव हो तो ब्याज की हानि का मामला सम्बन्धित बैंकों की शाखाओं में उठाया जाए तथा भविष्य में सावधि जमा योजना में राशियों को उन्हीं बैंकों में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ जिसके द्वारा अधिकतम दर से ब्याज दिया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) निर्धारित अवधि के पश्चात परिपक्ता तिथि पर ₹23428/– का कम ब्याज दिये जाने बारे:–

मन्दिर न्यास श्री बाबा दियोटसिद्ध द्वारा निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न बैंकों में निवेशित राशियों पर निर्धारित अवधि में पश्चात परिपक्वता तिथि पर ₹23428/– का कम ब्याज दिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः इस प्रकरण का पुनः अवलोकन करते हुये कम दिये गये ब्याज का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर कम दिये गये ब्याज को सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	F.D.R. No.	Rate of int.	Amount	Date of investment	Period	Maturity value due	Maturity Value Paid	Less intt. given	Name of Bank
1	585015	8.75%	559457	13.7.12	One year	610039	607103	2936	SBP Barsar
2	068014	9.50%	310914	28.4.12	One year	341520	340187	1333	UCO Bank
3	068272	9.50%	652649	29.4.12	One	716894	714098	2796	-do-

					year				
4	988841	9.25%	706432	2.11.12	One year	774078	770303	3775	KCCB D/Sidh
5	988891	9.25%	824231	25.11.12	One year	903158	898752	4406	KCCB Deotsidh
6	988842	9.25%	706432	25.11.12	One year	774079	770303	3776	-do-
7	988890	9.25%	824231	25.11.12	One year	903158	898752	4406	-do
							Total	**23428**	

6 सोना एवं चांदी का विवरणः—

(क) सोने का विवरणः—

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–III)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि 01.01.2012 से 31.12.2012 में सोने का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

सोनाः—

अवधि	**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
01.01.2012 को प्रारम्भिक शेष	—	19	046	839
वर्ष 2012 में प्राप्त सोना	—	—	649	460
31.12.12 को अन्तशेष (शुद्ध एवं अशुद्ध)	—	19	696	299

दिनाँक 31.12.2012 को बैंक एवं स्टॉक में अन्तशेष

क्र0सं0	**विवरण**	**किलोग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
1	पी0एन0बी0 मैहरे लॉकर में जमा	09	199	000
2	स्वर्ण बाण्ड योजना में जमा शुद्ध सोना	03	956	099
3	मन्दिर सेफ में जमा शुद्ध सोना	00	093	030
4	मन्दिर सेफ में जमा (अशुद्ध सोना)	06	448	170
	दिनाँक 31.12.2012 को कुल अन्तशेष (शुद्ध एवं अशुद्ध)	**19**	**696**	**299**

(ख) चांदी का विवरणः—

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–III)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.1.2012 से 31.12.2012 में चांदी का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

चाँदीः–

अवधि	**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
1.1.12 को प्रारम्भिक शेष	02	22	878	320
वर्ष 2012 में प्राप्त चांदी	–	15	370	500
31.12.12 को अन्तशेष (शुद्ध एवं अशुद्ध चाँदी)	02	38	248	820

दिनाँक 31.12.12 को बेंक एवं स्टॉक के अनुसार चांदी के अन्तशेष का विवरणः–

विवरण	**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
पी0एन0बी0 मैहरे लॉकर मे ंजमा च	01	26	286	000
मन्दिर सेफ में जमा अशुद्ध जमा	01	11	962	820
दिनांक 31.12.12 को कुल अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	**02**	**38**	**248**	**820**

नोटः– मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध के अवधि 1/2012 से 12/2012 के अंकेक्षण के दौरान सोने–चाँदी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दानस्वरूप प्राप्त चाँदी (जोकि मन्दिर के सिहांसन तथा थडा जोत की जगह स्थापित की गई है) का न्यास के चाँदी स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया है। इस प्रकार दान स्वरूप प्राप्त चाँदी का स्टॉक इन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा न्यास स्तर आन्तरिक जाँच करके तुरन्त चाँदी की स्टॉक प्रविष्टि करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0सं0	**दिनाँक**	**रसीद सं0**	**चालान सं0**	**मात्रा/वजन चाँदी**	**विवरण**
1	17.9.2012	1381	6172	1 किलो 615 ग्राम	यह चाँदी मन्दिर थड़े के ऊपर सिहांसन हेतु लगाया गया है
2	26.9.2012	1396	6190	7 किलो 725 ग्राम	यह चाँदी मन्दिर थड़े में जोत की जगह स्थापित/लगाई गई है

(ग) हीरा नगः–

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट III)** के अनुसार दिनाँक 31.12.2012 को मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध में हीरा नग के अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमाँक	**दिनाँक**	**विवरण**	**नग सं0**	**स्टॉक रजिस्टर पेज नं0**
1	11.10.2003	हीरा नग	01 नग	221

(घ) काँच के मनकेः–

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट III)** के अनुसार दिनाँक 31.12.2012 को मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध में काँच के मनको का अन्तशेष विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमाँक	**दिनाँक**	**विवरण**	**नग सं0**	**स्टॉक रजिस्टर पेज नं0**
1	25.01.2006	काँच के मनके	145 ग्राम	226

7 विदेशी मुद्रा को क्रेडिट करवाने इत्यादि से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का क्रेडिट न दिये जाने बारेः–

विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार दान स्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा को माह 5/12 तथा माह 6/12 में यूको बैंक दियोटसिद्ध शाखा में विनिमय हेतु जमा करवाया गया।

क्र0सं0	**CURRENCY**	**माह 5/11 में जमा करवाई गई मुद्रा**	**माह 9/11 में जमा करवाई गई मुद्रा**
1	England Pond	890	120
2	USA Doller	959	48
3	Canada Doller	2200	55
4	Rial	11	86
5	Singapore	–	10

6	Euro	15	50
7	UAF Doller	100	130
8	Australlian Doller	225	180
9	Newzeeland Doller	40	—

उपरोक्त विवरणानुसार बैंक में जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा का विनिमय करके सम्बन्धित बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया था। अतः सम्बन्धित बैंक से यह मामला उठाकर विदेशी मुद्रा का विनियम करवाकर अपेक्षित राशि का क्रेडिट लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) गलत गणना के कारण विदेशी मुद्रा को बैंक में कम जमा करवाने बारेः—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच मे ंपाया गया कि निम्न विवरणानुसार गलत गणना के कारण विदेशी मुद्रा को बैंक में विनिमय हेतु कम जमा करवाया गया।

क्र0सं0	दिनाँक	विदेशी मुद्रा विवरण	अभिलेख पेज नं0	बैंक को विनिमय हेतु भेजी विदेशी मुद्रा	अन्तर
1	6.2.12 से 27.2.12	540 UAE Doller	161, 162	440 Doller	100 Doller

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उपरोक्त कम जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा की निर्धारित विनिमय दर व ब्याज सहित ₹1500/— की वसूली चूककर्ता से करके यह राशि रसीद संख्या 37370 दिनाँक 7.1.2014 तथा चालान संख्या 9285 दिनाँक 8.1.14 द्वारा मन्दिर निधि में जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ करें ताकि इस तरह की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(ग) बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का कम क्रेडिट दिये जाने बारेः—

मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ मन्दिर, दियोटसिद्ध के विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दान स्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा को यूको बैंक दियोटसिद्ध शाखा में विनिमय हेतु जमा करवाया गया है परन्तु यूको बैंक दियोटसिद्ध द्वारा न्यास द्वारा जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा का निम्नविवरणानुसार कम क्रेडिट दिया गया। अतः सम्बन्धित बैंक शाखा से यह मामला उठाकर अपेक्षित राशि का क्रेडिट लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	विदेशी मुद्रा रजिस्टर पेज सं0	करैन्सी का नाम	मन्दिर न्यास द्वारा बैंक में भेजी मुद्रा	बैंक द्वारा दिया गया केडिट	कम क्रेडिट मात्रा
1	139	UAE Doller	1225	1220	5
2	161	UAE Doller	205	105	100

8 दान स्वरूप प्राप्त सामग्री/राशि, शिक्षण शुल्क तथा टैण्डर फार्मों की बिक्री की आय से सम्बन्धित अनियमितताऐं:–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा रसीद संख्या 3426 दिनाँक 1.4.2012 के अन्तर्गत दान/चढ़ावे के रूप में 51 कि0ग्रा0 चीनी प्राप्त की गई दर्शाई गई जबकि चालान संख्या 5007 दिनाँक 2.4.2012 में उक्त रसीद के अन्तर्गत मात्र 5 किलोग्राम चीनी प्राप्त की गई दर्शाई गई है। इस प्रकार कुल 46 किलोग्राम (51–5=46) चीनी कम दर्शाई गई जिसका बाजारी मूल्य ₹1627/– (35.36X46) बनता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹1627/– सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 37371 दिनाँक 7.1.2014 के अन्तर्गत वसूल करके न्यास निधि में राशि जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(ख) न्यास द्वारा रसीद संख्या 3026 दिनाँक 1.1.2012 के अन्तर्गत दान, चढ़ावा के रूप में 140 किलोग्राम आलू प्राप्त किए गए दर्शाये गये है जबकि चालान संख्या 4305 दिनाँक 2.1.2012 में उक्त रसीद के अन्तर्गत 110 किलोग्राम आलू प्राप्त किए गए दर्शाए गए है। इस प्रकार कुल 30किलोग्राम (140–110=30) आलू कम दर्शाये गये है जिसका बाजारी मूल्य ₹210/– (30X7) बनता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹210/– सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 37375 दिनाँक 9.1.2014 के अन्तर्गत वसूल करके मन्दिर न्यास में जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा रसीद संख्या–4825 दिनांक 22.4.2012 के अन्तर्गत दान/चढ़ावा में 41 नग स्टील थाली प्राप्त की गई दर्शाई गई है जबकि चालान संख्या 678 दिनांक 23.4.2012 में उक्त रसीद के अन्तर्गत 41 नग स्टील चम्मच सामग्री का इन्द्राज कर दिया गया। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति

उठाने पर न्यास द्वारा निर्धारित स्टील थाली की दर के मूल्य के अनुसार (3.80X120=₹456) की चूककर्ता से रसीद संख्या 00366 दिनाँक 18.1.2014 को वसूली करके न्यास निधि मे ंजमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

(घ) मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार दानस्वरूप प्राप्त विभिन्न सामग्रियों को कम करके चालान/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है। अतः कम दर्ज की गई सामग्रियों की वसूली बाजारी मूल्य से सम्बन्धित कर्मचारियों से करके राशि मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0 सं0	**रसीद सं0**	**दिनाँक**	**सामग्री**	**रसीद में दर्ज मात्रा कि0ग्रा0**	**न्यास चालान सं0**	**दिनाँक**	**चालान में दर्ज सामग्री मात्रा (कि0ग्रा0)**	**अन्तर मात्रा कि0ग्रा0**
1	2719	16.12.12	बेसन	25कि0500ग्रा0	6601	17.12.12	20कि0	5कि0500ग्रा0
2	3562	20.3.12	रिफाईन्ड तेल	30 ली0	4531	22.3.12	20 ली0	10 ली
3	4850	4.5.12	हल्दी	1कि0ग्रा0	—	—	—	1कि0ग्रा0
4	4148	31.3.12	बेसन	80कि0ग्रा0	5120	1.4.12	50कि0ग्रा0	30कि0ग्रा0
5	2185	20.11.12	नमक	2कि0ग्रा0	5669	22.11.12	—	2कि0ग्रा0
6	687	10.6.12	नमक	2कि0ग्रा0	5601	10.6.2012	1कि0ग्रा0	1कि0ग्रा0
7	753	24.6.12	सफेद चने	25कि0ग्रा0	5434	24.6.12	20कि0ग्रा0	5कि0ग्रा0

(ङ) मन्दिर न्यास द्वारा रसीद संख्या 4324 दिनाँक 8.4.2012 के अन्तर्गत चढ़ावे के रूप में 5 नग बकरे प्राप्त किए गए। न्यास के बकरों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि उक्त रसीद के अन्तर्गत स्टॉक रजिस्टर में 4 बकरों की प्रविष्टि टोकन संख्या 177 से 180 के अन्तर्गत पेज नं0 33 में दर्ज की गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर एक बकरे की कीमत की ₹400/– सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके रसीद संख्या 37711 दिनाँक 18.1.2014 को दान

निधि खाते में राशि जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति को रोकने हेतु आवश्यक पग उठाए जाए।

(च) मन्दिर न्यास की गाड़ी संख्या एच0पी0–21–3095 (टैम्पों) की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि श्रद्धालुओं द्वारा दानस्वरूप भेंट की गई टाईलों को लाने हेतु मन्दिर न्यास के आदेश पत्र संख्या 4052/53 द्वारा उक्त वाहन का दियोटसिद्ध से फगवाड़ा तथा वापिस दियोटसिद्ध के लिए प्रयोग किया गया। वाहन द्वारा फगवाड़ा से 1500 नग टाईलें (10X10 साईज) की दियोटसिद्ध लाई गई जिसमें वाहन द्वारा 324 कि0मी0 यात्रा की दर्शाई गई परन्तु दानस्वरूप प्राप्त टाईलों का स्टॉक इन्द्राज नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः दानस्वरूप प्राप्त टाईलों का स्टॉक इन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा प्राप्त टाईलों (1500 नं0) का तुरन्त स्टॉक इन्द्राज किया जाये तथा भविष्य के लिए सुझाव दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता दोहराई न जाए।

(छ) मन्दिर न्यास द्वारा रसीद संख्या 5411 से 5426 के अन्तर्गत ₹1250/– दान के रूप मे ंप्राप्त की गई लेकिन उक्त रसीदों के विरूद्ध चालान संख्या 3468 दिनांक 10.4.2012 के अन्तर्गत ₹1200 ही जमा करवाई गई। इस प्रकार ₹50 कम जमा करवाई गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹50 सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 36828 दिनांक 4.1.2014 के अन्तर्गत वसूल कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता दोहराई न जाये।

(ज) मन्दिर न्यास द्वारा संचाँलित स्नातक महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय, मॉडल स्कूल व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन व भत्तें का भुगतान मन्दिर न्यास निधियों से किया गया है परन्तु उक्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रो ंसे प्राप्त शिक्षण शुल्क को मन्दिर न्यास निधि में जमा नहीं करवाया गया। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग व अन्य कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का भुगतान राजकीय कोष से किया जाता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा किया जाता है। उसी के अनुरूप मन्दिर न्यास के शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त शिक्षण शुल्क को भी मन्दिर न्यास निधि अर्थात जिस निधि में से व्यय किया जाता है उस निधि में जमा करवाना अपेक्षित है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण मे ंसंस्था स्त्तर पर विस्तृत जाँच करके शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त शिक्षण शुल्क को मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(झ) मन्दिर न्यास के टैण्डर फार्मों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल में पाया गया कि रसीद संख्या 8960 दिनाँक 7.3.2012 व चालान संख्या 3945 दिनांक 8.3.2012 के अन्तर्गत टैण्डर फार्मों की बिक्री से ₹900/– की कम वसूली मन्दिर न्यास द्वारा की गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹900/– चूककर्ता से वसूल कर रसीद संख्या 8994 दिनाँक 6.1.2014 व चालान संख्या 7562 दिनाँक 6.1.201 के अन्तर्गत मन्दिर निधि में जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

9 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित सिद्ध आंचल संराय तथा अन्य संराय से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) सद्धि ऑचल संराय तथा संराय नं0 7, 8, 9 के आगन्तुक रजिस्टर का रख–रखाव उचित ढ़ंग से न करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा संचाँलित सिद्ध आँचल संराय तथा संराय नं0 7, 8, 9 के आगन्तुक रजिस्टरों में यात्रियों के आने–जाने का समय, कमरों की संख्या, ठहराव की अवधि तथा प्रतिदिन खाली रहने वाले कमरों की संख्या इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है जिस कारण उक्त संरायों से प्राप्त आय की सही पुष्टि नहीं जा सकी। अतः न्यास प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उक्त संरायों में ठहरने वाले यात्रियों से सम्बन्धित आगन्तुक रजिस्टरों के अतिरिक्त शेष सभी संरायों के आगन्तुक रजिस्टरों का रख रखाव भी उचित ढ़ंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा संचाँलित सिद्ध आँचल संराय (यात्री निवास) की आय में कमी होने के बारे व मेले के दौरान कमरे बिना आरक्षित/खाली दर्शाने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा सँचालित सिद्ध आँचल संराय की रोकड़ बही व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि सिद्ध आँचल संराये की आय में निरन्तर कमी आ रही है। मन्दिर न्यास द्वारा हर वर्ष आयोजित चैत्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ मन्दिर में रहती है तथा श्रद्धालु हर वर्ष 14 मार्च से 14 अप्रैल तक बाबा बालक नाथ के दर्शनों के लिए आते है परन्तु सिद्ध आँचल संराय के कमरों को चैत्र मेले के दौरान भी अनारक्षित दर्शाया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट (iv)** में दिया गया है। अंकेक्षण में चर्चा के दौरान बताया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सिद्ध आँचल संराय (जो शाहतलाई से दियोटसिद्ध मार्ग्र पर स्थित है तथा जिसमें 18 कमरे है एवं प्रति कमरे का किराया ₹400 व ₹500 निर्धारित है) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से वर्ष 2010

में लगभग 1 करोड़ 80 लाख में खरीदी थी। सामान्यतः चैत्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को रात्रि ठहराव हेतु संराय उपलब्ध नहीं रहती परन्तु इस दौरान भी सिद्ध आँचल संराये के कमरों को खाली दर्शाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास को सुझाव दिया जाता है कि सिद्ध आँचल संराय की आय में बढ़ौतरी हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के आगमन व सुविधा हेतु संराये के कमरों को आरक्षित करने का प्रयास किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा संचाँलित संरायों को जारी सामग्री की स्टॉक इन्द्राज न करने बारेः—

मन्दिर न्यास को दानस्वरूप श्रद्धालुओं से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे कि कम्बल, रजाईयाँ, तकिया, चादरें व गददे इत्यादि प्राप्त होते है तथा उनका प्रयोग/उपयोग न्यास द्वारा संचाँलित संरायों में भी किया जाता है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार न्यास द्वारा विभिन्न संरायों को सामग्री तो जारी की गई परन्तु सम्बन्धित सरायों के सब स्टॉक रजिस्टरों में जारी सामग्रियों का इन्द्राज नहीं किया गया है। अतः न्यास द्वारा जारी सामग्रियों का स्टॉक इन्द्राज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0सं0	**दिनाँक**	**सामग्री विवरण**	**नग /सं0**	**संराय नं0 जिसे सामग्री जारी की गई संराय प्रभारी नाम सहित**	**वस्त्र/सामग्री रजिस्टर पेज नं0.**
1	11.1.2012	कम्बल	100 नग	8 नं0 संराय (श्री केशवदत्त लिपिक)	18
2	26.11.12	कम्बल	50 नग	8 नं0 संराय (श्री मस्तान सिंह)	22
3	24.12.12	कम्बल	50 नग	8 नं0 संराय (श्री मस्तान सिंह)	23
4	26.12.12	दरी बड़ी	5 नग	8 नं0 संराय	73
5	13.3.12	सिरहानें	10 नग	संराय नं0 8 (श्री मस्तान सिंह)	110
6	25.4.12	गददे	12 नग	8 नं0 संराय (श्री मस्तान सिंह)	129
7	25.4.12	रजाई (गिलाफ)	6 नग	7 नं0 संराय	167
		योग कुल	**233 नग**		

10 (क) श्री अनिल कुमार पुस्तकालय अटैण्डेंट (Library Attendent) को अधिक ग्रेड पे देकर ₹11051/– का अधिक भुगतान करने बारे:–

श्री अनिल कुमार पुस्तकालय अटैण्डेंट (Libarary Attendent) की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी को उपायुक्त हमीरपुर एवम आयुक्त मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध के पत्र संख्या 6001 टी ए–II (x) एस0आर दिनाँक 19.9.2002 व एस0डी0ओ0 (सिविल) एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1302–1303/टी0ए0/एस0डी0बी0 दिनांक 17.10.2002 द्वारा अस्थाई तौर पर श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास में पुस्तकालय परिसर के पद पर 950–1800+अन्य देय भत्तों के साथ नियुक्ति प्रदान की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि एस0डी0ओ0 (सीविल) बड़सर एवम् अध्यक्ष मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0) बी–64/2010–लूज दिनाँक 24.9.2012 तथा अधिूसचना संख्या फिन (पी0आर0) बी (7)–64/2010 दिनाँक 15.7.2013 का अनुरक्षण करते हुये श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास में विभिन्न कर्मचारियों को अपने पत्र संख्या 1044/टी0ए0–1/एस0डी0बी0/2012 दिनाँक 25.10.2012 द्वारा उच्च ग्रेड पे स्वीकृत की गई है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0) बी (7)–64/2010 दिनाँक 15.7.2013 द्वारा पुस्तकालय अटैडेंन्ट (Library Attendent) को 4900–10680 व 1650 ग्रेड पे दिनाँक 1.7.2013 से प्रदान की गई है जबकि उक्त Libarary Attendance का अवधि 1.1.2006 से संशोधित वेतनमानों के अनुरूप फीटमैनट टेबल 4 में संशोधित वेतन मान व ग्रेड पे 5910–20200+1900 ग्रेड पे पर वेतन निर्धारण किया गया है तथा उनकों निम्नविवरणानुसार ₹11051/– की दिनाँक 31.10.13 तक अधिक भुगतान किया गया है। यह मामला सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा अपने कार्यालय कैम्प अधियाचना संख्या स0नि. आडिट 294 दिनाँक 12.12.2013 द्वारा मन्दिर अधिकारी के समक्ष उठाया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

माह	**देय वेतन**	**आहरित वेतन**	**अन्तर**	**अधिक भुगतान की राशि व अवधि**
1.10.12	BP+GP+DA 8330+1900+7366	BP+GP+DA 8240+2400+7661	705	1.1.2012 से 31.12.12 3X705=2115
1.1.13	8330+1900+8184	8240+2400+8512	738	1.1.13 से 30.9.13 9 X 738=6642

1.10.13	8640+1900+8432	8560+2400+8760	748	1.10.13 से 31.12.13 3X748=2294
			योग	₹11051

अतः उपरोक्त पुस्तकालय अटैन्डैन्ट को उच्च वेतनमान प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक ग्रेड वेतन की वसूली की जाना सुनिश्चित की जाए

(ख) श्री शमशेर चन्द शर्मा की अधीक्षक ग्रेड II के पद पर गलत वेतन निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹8309/– का अधिक भुगतान करने बारेः–

श्री शमशेर चन्द शर्मा अधीक्षक ग्रेड II की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी को एस0डी0ओ0 (सीविल) बड़सर एवम अध्यक्ष श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास के कार्यालय आदेश संख्या 1070–1073/टीए/एसडीबी/2011 दिनाँक 7.10.11 द्वारा वरिष्ठ सहायक से अधीक्षक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा उनके द्वारा दिनाँक 7.10.11 पूर्वाहन अधीक्षक के पद पर कार्य ग्रहण करने के पश्चात एफ0आर0 22 (ए) (1) के अन्तर्गत पदोन्नति लाभ हेतु अगली वेतन वृद्धि अर्जित करने पर विकल्प प्रदान किया गया। तत्पश्चात अवधि 1.1.06 से संशोधित वेतनमानों में दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत गलत वेतन निर्धारण करने पर उनको निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये अधिक भुगतान की वसूली की जाना सुनिश्चित करें।

i	दिनाँक 6.10.11 को वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतन	17860+4200=22060
ii	पदोन्नति उपरान्त अधीक्षक ग्रेड –II के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि	7.10.11 पूर्वाहन
iii	अधीक्षक ग्रेड–II का वेतन मान	10300–34800+4200
iv	(अवधि 7.10.11 से 31.3.12 तक) का देय वेतन	17860+4200=22060
v	अगली वेतन वृद्धि दिनाँक 1.4.2012 को पदोन्नति का लाभ प्रदान करने पर देय वेतन	(i) 17860+670+4200=22730 (ii) 18530+690+4200=23420

अवधि	**देय वेतन**	**आहरित वेतन**	**अन्तर**
7.10.11 से 31.3.12	17860+4200=22060	18530+4200=22730	670
1.4.12 से 30.9.12	19220+4200=23420	19220+4400=23620	200

इस प्रकार उपरोक्त अन्तर के फलस्वरूप डी0ए0 सहित निम्नानुसार अधिक वेतन का भुगतान किया गया है। गलत वेतन निर्धारण का मामला सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट–306 दिनाँक 6.01.2014 द्वारा न्यास अधिकारी के ध्यानार्थ भी लाया गया है परन्तु न्यास द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अवधि	**देय वेतन**	**आहरित वेतन**	**अन्तर**	**अधिक भुगतान**
7.10.11 से 31.10.11	17860+4200+12795=34855	18530+4200+13183=35913	1058	853
1.11.11 से 31.12.11	17860+4200+12795+34855	18530+4200+13183=35913	1058	2116
1.1.12 से 31.3.12	17860+4200+14339=36399	18530+4200+14775=37505	1106	3318
1.4.12 से 30.6.12	19220+45200+15223=38643	19220+4400+15353=38973	330	990
1.7.12 से 30.9.12	19220+4200+16862=40282	19220+4400+17006=40626	344	1032
			योग	**₹8309**

अतः न्यास स्तर पर आन्तरिक ज़ाँच करके अपेक्षित राशि की वसूली की जाए तथा उनका वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जाए

(ग) श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध में कार्यरत्त कर्मचारियों को विशेष भत्ता के फलस्वरूप ₹236278/– के अधिक भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री बाबा बालकनाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध में कार्यरत्त कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का भुगतान सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं दिया जाता था तथा न्यास द्वारा **परिशिष्ट "V"** में प्रस्तुत विवरणानुसार सम्बन्धित कर्मचारियों को उनकी मन्दिर न्यास से बाहर अर्थात उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर व एस0डी0ओ0 (सी) एवम अध्यक्ष मन्दिर न्यास बढ़सर में तैनाती के दौरान उपायुक्त एवं आयुक्त न्यास बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध की पूर्व स्वीकृति पर वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते का भुगतान किया जाता रहा था। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवम निर्णय दिनाँक 6.01.2012 के अनुरूप न्यास के कर्मचारियों को

दिनाँक 1.1.96 से सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे तथा एस0डी0ओ0 (सी) एवम अध्यक्ष न्यास बाबा बालक नाथ के कार्यालय आदेश संख्या 288/टी0ए0–1/एस0डी0बी0/2012 दिनाँक 17.3.2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अनुपालना करते हुये अवधि 1.1.96 से वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि के भुगतान हेतु भी आदेश पारित किये गये थे। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों का सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतनमान भुगतान करती बार पूर्व में भुगतान किये गये विशेष भत्ते को आहरित विवरण (Drawn Statement) मे ंनहीं दर्शाया गया परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को ₹236278/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके तथा अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अवधि 1/04 से 12/04 के पैरा संख्या 6(66) में वर्णित 13 में से केवल 10 कर्मचारियों एवं अन्य कुछ कर्मचारियों को अनियमित रूप से दिए गए विशेष भत्ते की वसूली के बारे में मन्दिर न्यास द्वारा उक्त वर्णित **परिशिष्ट "V"** पर अंकेक्षण को सूचना उपलब्ध करवाई है तथा शेश 3 कर्मचारियों यथा श्री देस राज (क्रम सं0 2), श्री अमित कुमार (क्र0स0ं 5) एवं श्री सुरेश कुमार (क्र0सं0 13) को दिए गए अनियमित विशेष भत्ते के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए कि उक्त वर्णित 3 कर्मचारियों को अनियमित रूप से दिए गए विशेष वेतन भत्ते की वसूली हेतु इन्हें **परिशिष्ट "V"** में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। यदि मन्दिर न्यास द्वारा इन कर्मचारियों को अनियमित रूप से दिये गये विशेष वेतन भत्ते की वसूली पूर्व में ही कर ली गई है तो इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाएं कि न्यास द्वारा इन कर्मचारियों को अनियमित रूप से दिए गए विशेष भत्ते की वसूली कब–कब की गई है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि न्यास द्वारा अनियमित रूप से दिए गए विशेष भत्तों की उन सभी कर्मचारियों से वसूली कर ली गई है जिनके नाम उक्त वर्णित **परिशिष्ट "V"** में अंकित नही है।

(घ) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना में पदों का वर्णन न होने पर भी न्यास के कर्मचारियों को ग्रेड पे दिए जाने के बारे में:–

एस0डी0ओ0 (सी) बढ़सर एवम अध्यक्ष श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या 1044/टी0ए0/एस0डी0बी/2012 दिनाँक 25.10.2012 के अन्तर्गत न्यास कर्मचारियों को माह 1.10.2012 से ग्रेड वेतन का निम्नानुसार भुगतान किया गया है जबकि प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार (वेतन परिशोधन) विभाग्र की अधिसूचना संख्या फिन

(पी0आर0) बी (7)–64/2010 दिनाँक 27.9.2012 व अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0) बी(7)–64/2010 दिनाँक 15.7.201 में जारी ग्रेड पे में इन पदों का वर्णन नहीं किया गया है।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि 1.10.12 को विद्यमान वेतन	अवधि 1.10.12 से प्रदान किया गया ग्रेड वेतन
1	श्री रघुवीर चन्द	इलैक्ट्रीशियन	10950+1950	10950+2400
2	श्री सुरेश कुमार	पम्प ओपरेटर	10950+1950	10950+2400
3	श्री प्रकाश चन्द	बेलडर	10950+1950	10950+2400
4	श्री जोगिन्द्र सिंह	स्कयोरिटी गार्ड	10240+1950	10240+2400
5	श्री रूप सिंह	–यथोपरि–	10240+1950	10240+2400
6	श्री विपन	फीटर	8600+1900	8600+2400
7	श्री अशोक कुमार	पुजारी	10640+2400	10640+2800
8	श्री सुरेश कुमार	पुजारी	10640+2400	10640+2800
9	श्री नरेश दत्त	–यथोपरि–	10640+2400	10640+2800
10	श्री मदन लाल	–यथोपरि–	10640+2400	10640+2800
11	श्री प्रदीप कुमार	–यथोपरि–	10640+2400	10640+2800

अतः प्रदेश सरकार की अधिूसचना में पदो ंके वर्णन के बिना ही उक्त ग्रेड पे देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

11 बजटः–

(क) बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने बारेः'–

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना **परिशिष्ट (vi)** के अनुसार वर्ष 2012 मे संस्थापना में व्यय हेतु कुल ₹89400000/– का बजट प्रावघान था परन्तु उक्त मद पर वर्ष 2012 ₹115223581/– का वास्तविक व्यय किया गया अर्थात बजह से ₹25823581/– का अधिक व्यय किया गया जिस हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ख) बिना बजट प्रावधान के ₹1.24 करोड़ का व्यय करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट (vi)** के अवलोकन पर यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2012 में किये गए व्यय में से कुछ मदों के लिए बजट प्रावधान नहीं था परन्तु उन मदों पर भी निम्न विवरणानुसार व्यय किये गये।

क्र0सं0	मद का नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
1	Instalation of hand pump	Nil	
2	Retaining wall along Longer Ground	Nil	150999
3	Moidification of Baba Ji Ka Dhuna	Nil	219918
4	Two Community Center	Nil	40000
5	C.C. T.V. Cameras	Nil	264129
6	Trafic Contral Lights at Bijhari	Nil	20000
7	Disaster Fund	Nil	1000000
8	C.M. relief fund	Nil	5100000
9	Pur chases of Cement	Nil	410035
10	High Mast Light	Nil	501140
		राशि	**₹12406541**

अतः बिना बजट प्रावधान के ₹12406541/– व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अनियमित रूप में व्यय की गई राशि को सक्षम अधकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित जलपान गृह (कैन्टीन) से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) जलपान गृह (कैन्टीन) के कूपनों की बिक्री से प्राप्त आय की राशि में ₹1515/– को रोकड़ बही/बैंक खाते में कम जमा करवाने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित जलपान गृह (कैन्टीन) के कूपनों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कैन्टीन के कूपनों की बिक्री से प्राप्त ₹1515/– रोकड़ बही व बैंक खाते में कम जमा करवाई गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹1515/– की चूककर्ता से वसूली करके दिनाँक 8.1.2014 को यूको बैंक दियोटसिद्ध में उक्त निधि में जमा करवा

दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः भविष्य के लिए सुझाव दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

क्र0 सं0	दिनाँक	सामग्री/वस्तु का नाम	कूपन रसीद नं0	कैन्टीन रजिस्टर में दर्ज कुल बिक्री राशि	वास्तव में दर्ज होने वाली बिक्री राशि	अन्तर की राशि
1	4.4.2012	ठण्डा पेय	29205 से 29400	195X12=2340	196X12=2352	12
2	6.4.2012	रोट डालडा	22801 से 23004	168X5=840	204X5=1020	180
3	11.4.2012	शुद्ध जल	3545 से 3546	98	116	18
4	14.4.2012	ठण्डा पेय	36129 से 36342	1268	2568	1300
5	25.4.2012	रोट डालडा	62620 से 62787	167X5=835	168X5=840	5
					योग	**₹1515**

(ख) जलपान गृह (कैन्टीन) में देसी घी की वास्तविक खपत से ज्यादा खपत दर्शाने बारेः—

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित जलपान गृह (कैन्टीन) के अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनाँक 5.4.2012 को कैन्टीन के आय व व्यय रजिस्टर के पेज संख्या 141 पर देसी घी की 5 किलोग्राम खपत दर्शाई गई है जबकि कैन्टीन स्टॉक रजिस्टर के पेज संख्या 245 पर दिनाँक 5.4.212 को देसी घी की 10 किलोग्राम खपत इन्द्राज दर्शाई गई। इस प्रकार देसी घी की 5 कि0ग्रा0 अधिक खपत इन्द्राज दर्शाई गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर 5 कि0ग्रा0 देसी की अधिक दर्शाई गई खपत की निर्धारित मूल्य के अनुसार (200X5=₹1000) की चूककर्ता से वसूली करके जलपान गृह (कैन्टीन) से सम्बन्धित यूको बैंक के खाता संख्या 127 में दिनाँक 8.1. 2014 को जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः भविष्य के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आन्तरित निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

13 समाचार पत्रों, मैगजीन, स्मारिका सोविनियर में दिये विज्ञापनो ंपर ₹577000/– का अनियमित व्यय करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा समाचार पत्रों, मैगजीनों, स्मारिकाओं तथा सोविनियरों में दिये गये विज्ञापनों पर **परिशिष्ट (vii)** के अनुसार ₹577000/– का व्यय किया गया जबकि प्रधान सचिव भाषा एवं संस्कृति (हिमालच प्रदेश) के पत्र संख्या LCD-E(3)-18/2010 दिनांक 10.12.2010 के अनुसार विज्ञापन पर व्यय करने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थ और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 के भी विपरीत है क्योंकि उक्त धारा के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा दान की राशि को श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यय करना अपेक्षित है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में विज्ञापन व्ययों पर अंकुश लगाकर राशि का प्रयोग मन्दिर विकासात्मक कार्यो पर खर्च पर करना सुनिश्चित किया जाए।

14 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु भेजी गई राशि में से शेष ₹39206/– का न तो सीमेन्ट प्राप्त करना और न ही शेष राशि प्राप्त करनाः–

श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा वर्ष 2012 के दौरान प्रबन्धक निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम शिमला कार्यालय में सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु निम्नविवरणानुसार ₹448597/– जमा करवाई गईः–

दिनांक	बैंक ड्राफ्ट सं0	जमा राशि
7.2.12	182122	77123
24.2.12	182129	77123
3.3.12	182139	77123
4.5.12	182195	38562
17.7.12	182298	77123
19.10.12	182362	85693
–यथोपरि–	182369	15850
	कुल जमा राशि	**448597**

उपरोक्त जमा करवाई गई राशि में से निम्नानुसार कुल 93 टन सीमेन्ट की मात्रा न्यास कार्यालय दियोटसिद्ध द्वारा प्राप्त की गई है।

दिनाँक	**बिल से इनवायस सं0**	**प्राप्त सीमेन्ट की मात्रा**
21.02.12	1901046431	9 टन
–यथोपरि–	1901046821	9 टन
8.3.2012	1901042203	9 टन
4.3.2012	1901043191	9 टन
19.3.2012	1901043399	9 टन
20.3.2012	1901043881	9 टन
10.5.2012	19011121064	9 टन
11.8.2012	1901157715	10 टन
26.10.12	190007	10 टन
27.10.12	1901190246	10 टन
कुल सीमेन्ट की मात्रा प्राप्त की गई		**93 टन**

उक्त सीमेन्ट की प्राप्ति हेतु रसीदों के अनुरूप निम्नविवरणानुसार ₹269932+₹139459 अर्थात कुल ₹409391 बनती थी।

(क) पहले 63 टन सीमेन्ट के लिये देय राशि

(i)	3160X63	199080
(ii)	सेल टैक्स 13.75% प्रति टन	27374
(iii)	हेडलींग चार्जिज 30 प्रति टन	1890
(iv)	गुडस टैक्स 130 प्रति टन	8190
(v)	किराया 530.13 प्रति टन	33398
	कुल राशि	**269932**

(ख) सीमेन्ट की दरों में बढ़ौतरी के फलस्वरूप शेष 30 टन की आपूर्ति हेतु कारपोरेशन द्वारा काटी गई राशि

30 टन ₹3480 प्रति टन	104400

सेल्ज टैक्स 13.75%	14355
हैन्डलीग चार्जिज 30 प्रति टन	900
किराया ₹530.13X30 प्रति टन	15904
गुडस टैक्स 130 प्रति टन	3900
कुल राशि	**139459**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार कुल 93 टन सीमेन्ट हेतु रसीदों के अनुसार निगम को ₹269932+₹139459=₹409391 देय बनती थी जबकि मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2012 में कुल ₹448527/– निगम के पास जमा करवाई गई थी। अतः नागरिक आपूर्ति निगम शिमला के पास वर्ष 2012 में कुल भेजी गई राशि में से (₹448527–₹409321=₹39206) शेष है जो अभी तक भी उक्त कार्यालय में जमा है। तत्पश्चात अंकेक्षण के परामर्श पर प्रभारी मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा निगम कार्यालय शिमला से सम्पर्क करने पर यह सुनिश्चित किया गया कि उपरोक्त राशि का सीमेन्ट न्यास को भेजा जाना शेष है जबकि निगम द्वारा वर्ष 2013 में जमा अन्य राशियों में से सीमेन्ट भेजा जा रहा है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि उपरोक्त शेष राशि को ब्याज सहित निगम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा आवश्यकता अनुसार राशि का सीमेन्ट मंगवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाये। इसके अतिरिक्त सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु भेजी अग्रिम राशि का उचित अभिलेख रखा जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि न्यास द्वारा निगम को कितनी अग्रिम राशि भेजी गई इसके विरूद्ध कितना सीमेन्ट प्राप्त किया गया तथा कितनी राशि शेष है।

15 भुगतान से सम्बन्धित अन्य विविध अनियमितताएः–

(क) बिजली के सामान की खरीद पर ₹1540/– का अधिक भुगतान बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास द्वारा मैसर्ज ठाकुर ट्रेडर्ज गलोड़ जिला हमीरपुर से उनके बिल संख्या 00042 दिनाँक 29.2.2012 के अन्तर्गत ₹87230/– का बिजली का सामान खरीदा गया परन्तु उपरोक्त बिल में न्यास द्वारा ₹88770/– का भुगतान करके ₹1540/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये अधिक भुगतान की गई राशि उचित स्त्रोत से प्राप्त करके मन्दिर न्यास की निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) प्रीटिंग एवं स्टेशनरी मद पर ₹824/— का अधिक भुगतान करने बारेः—

न्यास द्वारा विभिन्न प्रकार के छोटे—2 बिलों का भुगतान करने हेतु निमनानुसार दिनाँक 12.6.2012 को कुल ₹41964/— की निकासी की गई है।

1	टी ए/डी ए	12106
2	बिजली के बिल	2000
3	टेलीफोन	1000
4	प्रीटिंग व स्टेशनरी	3498
5	राशन बिल	23360
	कुल निकासी	**₹41964**

इस प्रकार उपरोक्त क्रम संख्या 4 पर प्रीटिंग एवं स्टेशनरी के क्रय हेतु ₹3498/— का भुगतान किया गया जबकि कार्यालय व्यय के शीर्ष में प्रीटिंग व स्टेशनरी के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार ₹2674/— भुगतान हेतु देय थाः—

दिनांक		**राशि**
12.5.12	300	650
13.5.12	388	400
16.5.12	1601	800
16.5.12	1602	24
	योग	**₹2674**

अतः प्रीटिंग व स्टेशनरी के बिलों की देय ₹2674/— के स्थान ₹3498 की निकासी करके ₹824/— की अधिक निकासी करने भुगतान किया गया जिसकी अंकेक्षण के दौरान ही रसीद संख्या 37369 दिनांक 7.01.14 के अन्तर्गत वसूली कर ली गई। अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को की पुनरावृति न की जाए।

(ग) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹500/— का अधिक भुगतान करने बारेः—

श्री अशोक कुमार (हेड कुक) के अवधि 12.12.11 से 20.12.11 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जाँच करने पर पाया गया कि प्रतिपूर्ति दावे में 5x vial penclav 1:2 gm की खरीद पर ₹120 प्रति वाईल की दर से कुल ₹600 के स्थान पर ₹1100/— का भुगतान किया गया अर्थात ₹500 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी पुनः अवलोकन करने पर वसूली उचित स्त्रोत/सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित करें।

(घ) यात्रा भत्ता के रूप में ₹795/– का अधिक भुगतान करनाः–

यात्रा भत्ता नियमों में विनिर्दिष्टत निर्देशों के अन्तर्गत उसी दिन सायं अपने मुख्यालय पहुंचने पर देय डी0ए0 की आधी राशि देय होती है परन्तु श्री ओम प्रकाश चालक को नियमों के विपरीत निम्नानुसार आधे डी0ए0 की राशि के स्थान पर पूरे डी0ए0 की राशि का भुगतान करके ₹795 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	**माह/अवधि**	**देय डी0ए0 की राशि**	**भुगतान की राशि**	**अधिक भुगतान की राशि**
1	7 से 9/11	396.80	604.80	208
2	10/11	378.00	470.00	92
3	11.21.11	405.00	589.00	184
4	1/12 से 3/12	484.00	795.00	311
	कुल अधिक भुगतान किए गए डी0ए0 की राशि			**₹795**

16 चकमोह गाँव में मन्दिर न्यास द्वारा स्ट्रीट लाईट की सुविधा प्रदान करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा चकमोह गाँव में स्ट्रीट लाईट के 73 प्वाईंट स्थापित किये गये है जिसके लिए **परिशिष्ट "viii"** के अनुसार वर्ष 2012 में ₹51636/– के बिजली बिल का भुगतान किया गया है। उपरोक्त स्ट्रीट प्वाईंट स्थपित करने तथा उन पर प्रतिवर्ष भुगतान किये गये बिजली बिल व मुरम्मत इत्यादि के बिलों को मन्दिर न्यास निधि पर हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 के उपबंधों के दृष्टिगत उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उक्त गाँव मन्दिर परिसर से लगभग 3 कि0ग्रा0 की दूरी पर तथा मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 1 कि0ग्रा0 दूरी पर स्थित है। अतः भुगतान की इस राशि का उक्त अधिनियम के उपबन्धों के दृष्टिगत औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति में नियमित करवाया जाए।

17 वाहनः–

(क) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना वाहनों को मन्दिर क्षेत्र के बाहर उपयोग/प्रयोग करने बारेः–

मन्दिर न्यास की विभिन्न वाहनों की लाग बुक (Log Book) की जाँच में पाया गया कि इन वाहनों को मन्दिर क्षेत्र की सीमा के बाहर प्रयोग/उपयोग किया गया है परन्तु इसके लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार की यात्राओं, वाहनों के प्रयोग/उपयोग

का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (ix)** में दिया गया है। अतः उक्त में वर्णित यात्राओं को सक्षम अधिकारी से कार्यात्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न यात्राओं हेतु सक्षम अधिकारी/मन्दिर अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न करना तथा यात्राओं का सत्यापित न करवाया जानाः–

मन्दिर न्यास की विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा विभिन्न यात्राओं में वाहनों के प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी/मन्दिर अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई न ही इन यात्राओं को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया है। इस प्रकार की सभी यात्राओं का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट (x)** में दिया गया है। इन यात्रों हेतु स्वीकृति प्राप्त न करने तथा यात्राओं को सत्यापित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इन सभी यात्राओं की सक्षम अधिकारी/मन्दिर अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इन्हें नियमित करवाया जाये तथा इन यात्राओं का सत्यापित भी करवाया जाए।

(ग) विभिन्न मासों में वास्तविक औसत तेल की खपत में भिन्नता का पाया जानाः–

मन्दिर न्यास की विभिन्न गाड़ियों की लॉग बुकों (Log Books) की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार गाड़ियों की विभिन्न मासों के दौरान वास्तविक औसत तेल की खपत में भिन्नता पाई गई जबकि इस भिन्नता का कोई स्पष्ट कारण लॉग बुकों में दर्शाया नहीं गया है। अतः विभिन्न मासों में गाड़ियों की औसत तेल खपत में भिन्नता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम दर्शाई गई औसत खपत की न्यास स्तर पर गणना करके अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से की जाये।

(1) गाड़ी संख्या एच0पी0–21–2100

माह/वर्ष	**औसत प्रति लीटर प्रति किलोमीटर**	**माह/वर्ष**	**औसत प्रति लीटर**
1/2012	9.13 प्रति लीटर कि0मी0	7/2012	9.31 प्रति लीटर कि0मी0
2/2012	9.23 प्रति लीटर कि0मी0	8/2012	
3/2012	9.36 प्रति लीटर कि0मी0		
4/2012	9 प्रति लीटर कि0मी0		
5/2012	8.45 प्रति लीटर कि0मी0		
6/2012	7.45 प्रति लीटर कि0मी0		

(2) गाड़ी संख्या एच0पी0–21 ए 2001

माह/वर्ष	औसत प्रति लीटर प्रति किलोमीटर	माह/वर्ष	औसत प्रति कि0मी0 प्रति लीटर
1/2012	10.27 किलो मीटर प्रति लीटर	7/2012	10.3 कि0मी0
2/2012	10.4 कि0मी0 प्रति लीटर	8/2012	10.21 कि0मी0
3/2012	10.21 कि0मी0	9/2012	10.28 कि0मी0
5/2012	10.27 कि0मी0	10/2012	10 कि0मी0
		11/2012	9.9. कि0मी0
6/2012	10.2 कि0मी0 प्रति लीटर	12/2012	10.2 कि0मी0

(3) गाड़ी संख्या एच0पी0–21 ए 6800 — (4) गाड़ी संख्या एच0पी0–21 ए 7002

माह/वर्ष	औसत प्रति लीटर प्रति किलोमीटर	माह/वर्ष	औसत प्रति लीटर प्रति किलोमीटर
3/2012	7.6 प्रति कि0मी0	7/2012	16.84 प्रति कि0मी0
4/2012	7.03 प्रति कि0मी0	8/2012	16.66 कि0मी0
9/2012	6.80 कि0मी0	9/2012	16.97 कि0मी0
11/2012	6.47 कि0मी0	10/2012	16.72 कि0मी0
		11/2012	16.91 कि0मी0
		12/2012	17.63 कि0मी0

(5) एच0पी0–21 3095 (टैम्पू)

माह/वर्ष	औसत प्रति लीटर प्रति किलोमीटर	माह/वर्ष	औसत प्रति लीटर प्रति किलोमीटर
1/2012	5.78 कि0मी0	7/2012	5.90 कि0मी0
2/2012	6.30 कि0मी0	8/2012	5.91 कि0मी0
3/2012	6.9 कि0मी0	9/2012	5.89 कि0मी0
4/2012	5.82 कि0मी0	12/2012	6.02 कि0मी0
5/2012	6 कि0मी0		

(घ) औसत तेल खपत का निर्धारण न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम प्राधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसत तेल की खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी टैस्ट चैक (जो भी पहलें हो) तक बनाये रखना अपेक्षित होता है। अतः वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो इसकी न्यास स्तर पर अधिक तेल की खपत की गणना करके अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से की जाये।

18 श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध संस्कृत महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत्त शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग की सेवा पंजिकाऐं पूर्ण न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास के संस्कृत महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत्त शिक्षक (Teaching) व गैर शिक्षक वर्ग (Non teaching) की सेवा पंजिकायें पूरी तरह से भरी नहीं गई थी और न ही संस्थाध्यक्ष द्वारा सत्यापित की गई थी जिस कारण उपरोक्त महाविद्यालय में कार्यरत्त शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग की सेवा पंजिकाओं की अंकेक्षण में पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि सभी स्टॉफ की सेवा पंजिकाओं को पूर्ण करवाकर व संस्थाध्यक्ष से सत्यापित करवाकर जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाएं।

19 अग्रिम रजिस्टर न लगाए जाने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2012 में विभिन्न संस्थाओं/विभागों को **परिशिष्ट (xi)** के अनुसार कुल ₹6766717/– अग्रिम के रूप मे ंदी गई परन्तु अग्रिम राशियों के रख रखाव हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख, रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया, जिसके अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अग्रिम राशियों का समायोजन कर लिया गया है अथवा नही तथा अग्रिम राशियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया था जिन उद्देश्यों के लिए राशि अग्रिम के रूप मे ंदी गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास द्वारा अग्रिम रजिस्टर/अभिलेख तैयार किया जिसमें पूर्व वर्षो की समस्त अग्रिम राशियों का इन्द्राज किया जाये तथा जिन संस्थाओं/विभागों को राशि अग्रिम के रूप मे ंदी गई है उनसे अग्रिम राशियों के समायोजन से

सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करके, राशियों का समायोजन किया जाये तथा सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों से शेष अग्रिम राशि की वसूली भी की जानी सुनिश्चित की जाये।

20 फायर हाईडरन्टस लगाने हेतु ₹697800/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ द्वारा ₹697800/– चैक संख्या 983933 दिनाँक 3.8. 2012 द्वारा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग बड़सर को मन्दिर परिसर में 5 नं0 फायर हाईडरन्टस (Fire Hydrants) लगवाने हेतु जमा करवाई गई। उपरोक्त जमा की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किये। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित करे।

21 हैन्डपम्प लगवाने हेतु सिंचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग को भुगतान की ₹4700320/– से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2012 के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग बड़सर को निम्नानुसार ₹4700320/– हैन्डपम्प लगवाने हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान की गई।

क्र0सं0	**दिनांक**	**चैक सं0**	**राशि**
1	17.5.2012	820922	556320
2	1.8.2012	983973	954000
3	31.8.2012	983982	190000
4	30.11.2012	67301	3000000
		कुल योग	**₹4700320**

उपरोक्त भुगतान की राशि से सम्बन्धित निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियाँ अपेक्षित हैः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 4(5) में विनिर्दिष्टित आदेशों के अनुरूप उपरोक्त भुगतानो से सम्बन्धित वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रधान सचिव भाषा कला एवं संस्कृति विभाग एवम मुख्य आयुक्त मन्दिर न्यास से नहीं दर्शाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में ंदर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राकलन अंकेक्षण में नहीं दर्शाये गये। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

(ग) अंकेक्षण के दौरान चर्चा में यह बताया कि उक्त अग्रिम राशि से हैण्डपम्प मन्दिर परिसर के बाहर लगाये जाने प्रस्तावित है जो कि मन्दिर न्यास की निधि पर उचित प्रभार नहीं है क्योंकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु अपने स्तर पर भी ऐसे हैण्डपम्प लगाये जाते है। अतः उक्त अनियमितता के कारण भी स्पष्ट किए जाएं।

22 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध के कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका के प्रत्युत्तर/difence में उच्चतम न्यायालय द्वारा "जयदेव गुप्ता Vs हिमाचल प्रदेश सरकार" के मामले में दिये गये निर्णय (AIR 1998 SC2 819) को गम्भीरता से न करने के कारण प्रार्थियों को न्यास निधि से लगभग ₹30 लाख का अनुचित व अनियमित भुगतान करनाः–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ में कार्यरत्त न्यास कर्मचारियों द्वारा उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष देय वेतन मानों के बराबर वेतनमान प्रदान करने बारे उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में सी0पी0 डब्लयू संख्या 11869 के अन्तर्गत दिनांक 20.11.09 के याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में प्रार्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुये न्यास को इन कर्मचारियों को 1.1.96 से 31.12.2002 तक सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमान व वेतन भत्तों की बकाया राशि के भुगतान हेतु आदेश पारित किये गये तदानुसार न्यास द्वारा इन कर्मचारियों को ₹7091096/– का भुगतान किया गया। उपरोक्त सी0पी0डब्लयू के प्रत्युत्तर में न्यास द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत उत्तर की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त मामलों में हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (पी0आर0) बी (7)–2/2001 दिनाँक 15.01.2002 द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस कार्यालय के ज्ञापन का Extract निम्न प्रकार से वर्णन किया गया हैः–

"It has been observed that various claims regarding allowing higher say scale, selection grade, special pay and other financial benefits are being prefered by the employees and such claims are decided by the Horible counts in favour of the applicants with retrospective effect causing many problems such as payment of arrear step up of pay of senior employees etc. The matter has been examined in consuetation with the law department in the light of delivered by the Honble Superme Court of India in case of Jai Dev Gupta Vs. State of Himachal Pradesh reported in AIR 1998 Sc2 2819 and it has been decided that as and when any desphte intaken to the court/tribunel by any employee in respect of his pay scale or selection grade or other allowances etc, the replying respondent should invariably take a defence on the strength judgement of Honble

Supreme Court in case of Jai Dev Gupta Vs State of H.P. report in AIR 1998 SC2 819 that the wages should be restricted for a period of three years only. In case the Honble Tribunal do not agree with the defence of Govt Deptt, the matter should be agitated before the higher court by way of appropriate renemdy."

अतः यदि मन्दिर न्यास द्वारा उक्त ज्ञापन में वर्णित उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को defence में लिया होता तो प्रार्थियों को देय वेतन व भत्तों के भुगतान की राशि को तीन वर्षों तक ही सीमित किया जा सकता था। अतः इस मामले में गम्भीरता से न लेने के कारण न्यास द्वारा 134 कर्मचारियों को लगभग ₹30/– लाख का अधिक भुगतान करना पड़ा जिसकी गणना न्यास स्त्तर पर भी की जाए। यह प्रकरण गहन छानबीन व आगामी उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

23 खरीदे गये बिजली के सामान में पारदर्शिता जाने बारे तथा पुराने बदले गये बिजली के समान का Dead Stock Register में स्टॉक इन्द्राज न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास द्वारा हजारों रूपयो की राशि का बिजली का सामान मन्दिर न्यास में बिजली की सुविधा को सुचारू रूप में प्रदान करने हेतु खरीदा जाता है। बिजली के विभिन्न मेक के सामान अर्थात एंकर, कीजोल, बजाज, क्रेामटन (Cromption) ओसरम इतयादि के समान की खरीद हेतु विभिन्न फर्मा से निविदाओं के आधार पर न्यास द्वारा खरीद की प्रक्रिया अपनाई जा रही है परन्तु आमन्त्रित गई निविदाओं में किसी भी फर्म द्वारा किस मेक के बिजली के सामान की दरें अंकित की गई है उनका कोई उल्लेख नहीं किया जाता है और न ही न्यास द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करते समय यह उल्लेख किया जाता है अमूक फर्म द्वारा निर्धारित दर पर किस मेक का सामान न्यास को सप्लाई किया जाना है जबकि विभिन्न मेक के सामान की दरों मे ंभारी अन्तर होता है। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा प्राप्त किये गये बिजली के सामान के बिलों पर तथा स्टॉक रजिस्टरों पर भी निश्चित मेक का वर्णन नहीं होता है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे प्राप्त बिजली के सामान की गुणवता तथा भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि निविदाऐं आमन्त्रित करते हुए तथा आपूर्ति आदेशों को जारी करते समय भी निश्चित मेक के बिजली के सामान का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा निश्चित मेक के बिजली के सामान की न्यूनतम दरों को मुख्य उत्पादक (Princicpal Manufacture) की मूल्य सूची से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए ताकि बिजली के सामान की खरीद पर पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि न्यास द्वारा समय–2 पर पुराना बिजली सामान बदला जाता है परन्तु पुराने बदले गये कीमती सामान का स्टॉक में इन्द्राज Dead

Stock Register/Old Replacement Register में इन्द्राज नहीं किया जाता है। अतः बदले गए पुराने सामान का इन्द्राज Dead stock Register/old replacement register में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः—

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

I जी—8 स्टॉक रजिस्टर

II दान व चढ़ावा की रसीदों का स्टॉक रजिस्टर

III मन्दिर न्यास द्वारा संचालित विभिन्न संरायों को जारी रसीदों का स्टॉक रजिस्टर

IV मन्दिर न्यास द्वारा संचालित सिद्ध आँचल को जारी रसीदों का स्टॉक रजिस्टर

V न्यास को दानस्वरूप प्राप्त विभिन्न सामग्रियों की रसीदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर

25 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

26 निष्कर्षः— लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(xiv)195/97 खण्ड—5 दिनांक, 14.07.2014 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. उपायुक्त हमीरपुर, एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास, हमीरपुर जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 उप मण्डल अधिकारी बड़सर, एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला—9

5 अवर सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

6. श्री तारा चन्द महन्त सहायक नियन्त्रक द्वारा............

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A" (पैरा संख्या–1 (ग) में सन्दर्भित)

मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध जिला हमीरपुर के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की अवधि 1/2001 से 12/2011 तक की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2011

1	पैरा–5 (क) 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क) 8 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (क) 8 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (क) (17)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (क) 11 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (क) (15)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2002

1	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (10) (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (13)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (15)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (23)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (27)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (31)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (54)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2003

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (1) (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (12) (क)	अनिर्णीत

4	पैरा–6 (12) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (12) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (14) (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (14) (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (16)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (18) (क)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (18) (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (32)	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (33) (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (33) (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (35)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (36) (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2004

1	पैरा–6.4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–6.7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–6.7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–6.7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–6.9 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–6.9 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–6.9 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा–6.9 (घ) (1)	अनिर्णीत
9	पैरा–6.9 (घ) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–6.9 (ङ)	अनिर्णीत
11	पैरा–6.9 (च)	अनिर्णीत
12	पैरा–6.9 (छ)	अनिर्णीत
13	पैरा–6.9 (ज)	अनिर्णीत
14	पैरा–6.9 (झ) (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–6.9 (झ) (2)	अनिर्णीत

16	पैरा–6.11	अनिर्णीत
17	पैरा–6.13	अनिर्णीत
18	पैरा–6.14 (क)	अनिर्णीत
19	पैरा–6.14 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–6.15 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा–6.15 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा–6.19 (क)	अनिर्णीत
23	पैरा–6.19 (ख)	अनिर्णीत
24	पैरा–6.20 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा–6.20 (ग)	अनिर्णीत
26	पैरा–6.21	अनिर्णीत
27	पैरा–6.23	अनिर्णीत
28	पैरा–6.27 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा–6.27 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा–6.27 (ग)	अनिर्णीत
31	पैरा–6.27 (घ)	अनिर्णीत
32	पैरा–6.27 (ङ) (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–6.27 (ङ) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–6.27 (ङ) (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–6.27 (च) (1)	अनिर्णीत
36	पैरा–6.27 (च) (2)	अनिर्णीत
37	पैरा–6.27 (च) (3)	अनिर्णीत
38	पैरा–6.27 (च) (4)	अनिर्णीत
39	पैरा–6.27 (छ) (1)	अनिर्णीत
40	पैरा–6.27 (छ) (2)	अनिर्णीत
41	पैरा–6.27 (छ) (3)	अनिर्णीत
42	पैरा–6.27 (ज) (1)	अनिर्णीत
43	पैरा–6.27 (झ) (1)	अनिर्णीत
44	पैरा–6.27 (झ) (2)	अनिर्णीत
45	पैरा–6.28	अनिर्णीत

46	पैरा–6.43	अनिर्णीत	
47	पैरा–6.45	अनिर्णीत	
48	पैरा–6.46	अनिर्णीत	
49	पैरा–6.50 (क)	अनिर्णीत	
50	पैरा–6.50 (ख)	अनिर्णीत	
51	पैरा–6.57	अनिर्णीत	
52	पैरा–6.64	अनिर्णीत	
53	पैरा–6.71 (क)	अनिर्णीत	
54	पैरा–6.71 (ख)	अनिर्णीत	
55	पैरा–6.71 (ग) (1)	अनिर्णीत	
56	पैरा–6.71 (ग) (2)	अनिर्णीत	
57	पैरा–6.74	अनिर्णीत	
58	पैरा–6.75	अनिर्णीत	
59	पैरा–6.78	अशंतः निर्णीत	
60	पैरा–6.79 (क)	अनिर्णीत	
61	पैरा–6.79 (ख)	अनिर्णीत	
62	पैरा–6.86 (ख)	निर्णीत	(Extentation granted vide No 1370 TT BB N Dated 8-7-05)
63	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
64	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
65	पैरा–7.3	अनिर्णीत	
66	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
67	पैरा–7.5	अनिर्णीत	
68	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
69	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
70	पैरा–9.5	अनिर्णीत	
71	पैरा–10.7	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005

1	पैरा–5.4	अनिर्णीत
2	पैरा–11	अनिर्णीत

3	पैरा–13	अनिर्णीत
4	पैरा–16	अनिर्णीत
5	पैरा–21.1	अनिर्णीत
6	पैरा–21.2	अनिर्णीत
7	पैरा–22	अनिर्णीत
8	पैरा–25.1	अनिर्णीत
9	पैरा–25.2	अनिर्णीत
10	पैरा–25.3	अनिर्णीत
11	पैरा–27	अनिर्णीत
12	पैरा–28.1	अनिर्णीत
13	पैरा–28.2	अनिर्णीत
14	पैरा–28.3	अनिर्णीत
15	पैरा–29.1	अनिर्णीत
16	पैरा–29.2	अनिर्णीत
17	पैरा–30.1	अनिर्णीत
18	पैरा–30.2	अनिर्णीत
19	पैरा–30.3	अनिर्णीत
20	पैरा–30.4	अनिर्णीत
21	पैरा–30.5	अनिर्णीत
22	पैरा–31	अनिर्णीत
23	पैरा–32.1	अनिर्णीत
24	पैरा–32.2	अनिर्णीत
25	पैरा–32.4	अनिर्णीत
26	पैरा–32.5	अनिर्णीत
27	पैरा–32.6	अनिर्णीत
28	पैरा–33	अनिर्णीत
29	पैरा–38.1	अनिर्णीत

(च) अकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2006

1	पैरा–7	अनिर्णीत

2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10.1	अनिर्णीत
4	पैरा–12.1 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा–12.2	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14	अनिर्णीत
8	पैरा–15	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2007 से 12/2007

1	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–15	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–17	अनिर्णीत
13	पैरा–20	अनिर्णीत
14	पैरा–21.2	अनिर्णीत
15	पैरा–22	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2008

1	पैरा–5.2	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत

5	पैरा—11 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा—12	अनिर्णीत
7	पैरा—13	अनिर्णीत
8	पैरा—14	अनिर्णीत
9	पैरा—18	अनिर्णीत
10	पैरा—19	अनिर्णीत
11	पैरा—20 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा—20 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा—22	अनिर्णीत
14	पैरा—25 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा—25 (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा—26	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009

1	पैरा—8	अनिर्णीत
2	पैरा—10	अनिर्णीत
3	पैरा—11 (ग) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा—11 (ग) (2)	अनिर्णीत
5	पैरा—11 (ग) (3)	अनिर्णीत
6	पैरा—12	अनिर्णीत
7	पैरा—13	अनिर्णीत
8	पैरा—18 (i)	अनिर्णीत
9	पैरा—18 (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा—18 (iii)	अनिर्णीत
11	पैरा—21	अंशतः निर्णीत
12	पैरा—23	अनिर्णीत
13	पैरा—24	अनिर्णीत
14	पैरा—26	अनिर्णीत
15	पैरा—27 (क)	अनिर्णीत
16	पैरा—27 (ख)	अनिर्णीत

17	पैरा–36 (क)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010

1	पैरा–5.1	अनिर्णीत
2	पैरा–5.2	अनिर्णीत
3	पैरा–5.2 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–5.2 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–5.2 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–7.2	अनिर्णीत
7	पैरा–7.3	अनिर्णीत
8	पैरा–10.2	अनिर्णीत
9	पैरा–10.3	अनिर्णीत
10	पैरा–10.4	अनिर्णीत
11	पैरा–10.5 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा–10.5 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा–10.6	अनिर्णीत
14	पैरा–10.7	अनिर्णीत
15	पैरा–10.8	अनिर्णीत
16	पैरा–10.9	अनिर्णीत
17	पैरा–10.11	अनिर्णीत
18	पैरा–10.12	अनिर्णीत
19	पैरा–10.13	अनिर्णीत
20	पैरा–13.6	अंशतः निर्णीत
21	पैरा–15	अनिर्णीत
22	पैरा–16	अनिर्णीत
23	पैरा–17	अनिर्णीत
24	पैरा–19	अनिर्णीत
25	पैरा–23.1	अनिर्णीत
26	पैरा–23.2	अनिर्णीत
27	पैरा–23.3	अनिर्णीत

28	पैरा–23.4	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2011

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹66400/– बैंक ड्राफ्ट संख्या 488519 दिनांक 4.6.13 के द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला 9 के नाम पर जमा करवा दी गई है)
2	पैरा–4	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–7	अंशतः निर्णीत	(सम्बन्धित विदेशी मुद्रा की माह 9/11 में जमा राशि की जाँच इस अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है)
8	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (ख)	निर्णीत	
10	पैरा–8 (ग)	निर्णीत	
11	पैरा–8 (घ)	निर्णीत	
12	पैरा–8 (ङ)	निर्णीत	
13	पैरा–8 (च)	निर्णीत	
14	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत	
16	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा–9 (घ) (i)	निर्णीत	
20	पैरा–9 (घ) (ii)	अनिर्णीत	
21	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत	
22	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	
23	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	

24	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत	
25	पैरा–9 (ञ)	निर्णीत	
26	पैरा–9 (ट)	अंशतः निर्णीत	(श्री शमशेर चन्द शर्मा दिनांक 26.4.05 सें प्रवीणता वेतन वृद्धि के स्थान पर अपने जूनियर के बराबर दूसरी बार स्टेप अप के पात्र थे। अतः 2nd step up की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दर्शाये)
27	पैरा–9 (ठ)	अंशतः निर्णीत	
28	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
29	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
31	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
33	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत	
34	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत	
35	पैरा–12 (क)	निर्णीत	
36	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा–13	अनिर्णीत	
38	पैरा–14	अनिर्णीत	
39	पैरा–15	अनिर्णीत	
40	पैरा–16	अनिर्णीत	
41	पैरा–17	अनिर्णीत	
42	पैरा–18	निर्णीत	
43	पैरा–19	अनिर्णीत	
44	पैरा–20	अनिर्णीत	
45	पैरा–21 (क)	अनिर्णीत	
46	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा–21 (ग)	अनिर्णीत	
48	पैरा–22 (क)	अनिर्णीत	
49	पैरा–22 (ख)	निर्णीत	

50	पैरा–22 (ग)	निर्णीत
51	पैरा–22 (घ)	निर्णीत
52	पैरा–22 (ङ)(i, ii, iii)	अनिर्णीत
53	पैरा–22 (च)	अनिर्णीत
54	पैरा–23	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	268
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	16
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/11 से 12/11 तक अनिर्णीत पैरे	252